



Neutral Citation No.- 2026:AHC:124568

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय**

**आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 19038 वर्ष 2026**

आमीर

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

.....विपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता : परमेश्वर यादव

विपक्षी के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

**न्यायालय संख्या- 5**

**माननीय न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार सिन्हा**

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री परमेश्वर यादव, प्रथम मुखबिर के विद्वान अधिवक्ता श्री आदित्य प्रकाश तिवारी, राज्य के लिए विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री मनोज गौतम को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया।
2. यह वर्तमान जमानत आवेदन केस अपराध संख्या 118 वर्ष 2026, बीएनएस की धारा 70(2), 333, 351(3) और पोक्सो अधिनियम की धारा 5जी/6, पुलिस स्टेशन कोठीभार, जिला महाराजगंज के तहत विचारण के दौरान आवेदक को जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दायर किया गया है।
3. शुरुआत में ही, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि प्रथम मुखबिर को नोटिस तामील कर दिया गया है।
4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि वर्तमान मामला उसी तिथि को प्रथम मुखबिर पक्ष के खिलाफ दर्ज कराए गए एक पूर्व मामले का प्रतिशोध है और यह प्रस्तुत किया गया है कि वर्तमान मामला बीएनएस की धारा 173(4) के तहत एक आवेदन के माध्यम से

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



दर्ज किया गया है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि आवेदक का नाम एफआईआर में नहीं है और उसका नाम पीड़िता के बीएनएसएस की धारा 180 और 183 के तहत दर्ज बयानों में सामने आया है, जिसमें उसने कहा है कि जब आरोपी व्यक्ति सरफराज और शमशेर उसके घर में घुसे और उसके साथ बलात्कार करने का प्रयास किया, तो आवेदक बाहर पहरा दे रहा था। आवेदक 06.05.2026 से जेल में है और यदि उसे जमानत दी जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और विचारण कार्यवाही में सहयोग करेगा।

5. प्रथम मुखबिर के विद्वान अधिवक्ता ने आवेदक को जमानत देने की प्रार्थना का विरोध किया और प्रस्तुत किया कि पीड़िता लगभग 14 वर्ष की नाबालिग है और उसने बीएनएसएस की धारा 183 के तहत दर्ज अपने बयान में एफआईआर में लगाए गए आरोपों का समर्थन किया है।

6. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने भी आवेदक को जमानत देने की प्रार्थना का विरोध किया।

7. वर्तमान मामला दर्ज होने से पहले, आवेदक पक्ष द्वारा भी प्रथम मुखबिर पक्ष के खिलाफ एक मामला दर्ज कराए जाने की बात कही गई है और वर्तमान एफआईआर बीएनएसएस की धारा 173(4) के तहत एक आवेदन के माध्यम से दर्ज की गई है। आवेदक का नाम एफआईआर में नहीं है और उसका नाम पीड़िता के बीएनएसएस की धारा 180 और 183 के तहत दर्ज बयानों में सामने आया है, जिसमें उसने कहा है कि जब आरोपी व्यक्ति सरफराज और शमशेर ने, जिनके बारे में कहा गया है कि वे प्रथम मुखबिर के घर में घुसे थे और उसके साथ बलात्कार करने की कोशिश की थी, कथित घटना को अंजाम दिया, तो आवेदक कमरे के बाहर पहरा दे रहा था। पीड़िता की आयु का आधार उसका स्थानांतरण प्रमाण पत्र है और पीड़िता की आयु सुनिश्चित करने के लिए कोई हाई स्कूल प्रमाण पत्र या रेडियोलॉजिकल रिपोर्ट नहीं है।

8. मामले के संपूर्ण तथ्यों और परिस्थितियों, पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार करते हुए और अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, आरोपी की संलिप्तता को ध्यान में रखते हुए तथा जेलों में अत्यधिक भीड़ और विचारण न्यायालयों के समक्ष लंबित आपराधिक मामलों के भारी बोझ को ध्यान में रखते हुए, साथ ही **कपिल वधावन बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो** मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अधिदेश को देखते हुए, जो 2025 एससीसी ऑनलाइन एससी

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



3038 में रिपोर्ट किया गया है, और **माया तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य** मामले में इस न्यायालय के दिशानिर्देश को देखते हुए, जो 2024 एससीसी ऑनलाइन ऑल 6765 में रिपोर्ट किया गया है, और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मेरा मानना है कि आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार है।

9. तदनुसार, वर्तमान आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

10. आवेदक-**आमीर**, जो उपरोक्त अपराध में शामिल है, को निम्नलिखित शर्तों के साथ, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए समान राशि के व्यक्तिगत बांड और दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए:-

(i) आवेदक सीधे या परोक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोकने के लिए या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करने के लिए कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा।

(ii) आवेदक बिना किसी स्थगन की मांग किए ईमानदारी से विचारण/जांच में सहयोग करेगा।

(iii) जमानत पर रिहा होने के बाद आवेदक किसी भी आपराधिक गतिविधि या अपराध करने में शामिल नहीं होगा।

(iv) आवेदक उसके द्वारा निष्पादित बांड की शर्तों के अनुसार उपस्थित रहेगा।

11. उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन के मामले में, यह जमानत रद्द करने का आधार होगा।

12. बांड स्वीकार किए जाने से पहले संबंधित न्यायालय द्वारा आवेदक और जमानतदारों की पहचान, स्थिति और निवास प्रमाण का सत्यापन किया जाए। आवेदक के साथ-साथ जमानतदारों के मोबाइल नंबर और आधार कार्ड का सत्यापन संबंधित न्यायालय द्वारा किया जाना चाहिए।

13. यह आगे निर्देश दिया जाता है कि विचारण न्यायालय आवेदक की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित करने के लिए जमानत आदेश प्रबंधन प्रणाली (बीओएमएस) के माध्यम से संबंधित जेल को रिहाई आदेश भेजे।

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



14. कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि वह **31.01.2023 को दिए गए (2024) 10 एससीसी 685 में रिपोर्ट किए गए जमानत देने के लिए नीति रणनीति, इन री: सुओ मोटो रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 4 वर्ष 2021** मामले में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में 24 घंटे के भीतर संबंधित जेल अधीक्षक के माध्यम से ई-मेल या ई-प्रिजन पोर्टल द्वारा आवेदक को इस आदेश की एक प्रति भेजे।

(जितेंद्र कुमार सिन्हा, न्यायमूर्ति)

2 जून, 2026

Translated version . Not for legal use.

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।